

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
‘वित्त भवन’ जनपथ, जयपुर— 302015
(दूरभाष 0141—2740735, फैक्स 0141— 2742309, ई—मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ—3(ख) / आई—डीजीएस / 90 (लिंक नं. 8473) अलेसे—गा / ४३

दिनांक— २८.५.२०

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश क्रमांक 616 दिनांक 24.09.2019 द्वारा श्री ईश्वर सिंह राठौड़, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—द्वितीय का स्थानान्तरण अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिरोही से विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही में किया गया था। निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राठौड़ ने विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही में आदिनांक तक भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।

श्री ईश्वर सिंह राठौड़, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—गा को एतद्वारा उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक २८.५.२०२० को मध्यान्ह पश्चात् कार्यमुक्ति किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री राठौड़ का अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिरोही में कार्य करने का अधिकार समाप्त हो गया है, अतः उक्त कार्यालय से बिना किसी अन्य कार्यमुक्ति का इंतजार किए तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल—jdp-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141—2744134 / 2740735 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

मुकुन्द सोहोनी
(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक: एफ—3(ख) / आई—डीजीएस / 90 (लिंक नं. 8473) अलेसे—गा / ४३

दिनांक— २८.५.२०

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिरोही को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्ति किए जाने के पश्चात् अब तत्काल प्रभाव से उक्त कार्मिक का आपके विभाग में राजकीय कार्य संपादन करने का अधिकार समाप्त हो चुका है, अतः अब से आपके विभाग में उक्त कार्मिक से कार्य लिया जाना विधि संगत नहीं होगा। यदि नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्मिक की कार्यमुक्ति किए जाने के पश्चात् भी उक्त कार्मिक से उसके द्वारा पूर्व में धारित पद का कोई भी राजकीय कार्य आपके विभाग / कार्यालय में कराया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व संबंधित विभाग / कार्यालय का ही होगा।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही।
3. श्री ईश्वर सिंह राठौड़, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—गा कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिरोही को तत्काल पालनार्थ। नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्ति कर दिए जाने के कारण उक्त कार्यालय में राजकीय कार्य संपादन के अधिकार की समाप्ति के उपरांत भी यदि आपने उक्त विभाग / कार्यालय में कोई राजकीय कार्य किया तो इसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाएगा और आपके विरुद्ध यथेष्ट अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी), कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

मुकुन्द सोहोनी
(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक—गा)